संख्या–1981/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.–8

प्रेषक,

श्री हरिराज किशोर
सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

अनुभाग–6 लखनऊ, दिनांकः 8 सितम्बर, 2004

विषयः–प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड़ मील) की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के माध्यम से किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–196/2001 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांकः 28–11–2001 एवं 20–04–2004 के समादर में प्रदेश के सरकारी/बेसिक शिक्षा परिषदीय/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों/ई0जी0एस0 केन्द्रों में कक्षा–1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों को 80 प्रतिशत की उपस्थिति के आधार पर एक शैक्षिक सत्र में कम से कम 200 दिन पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में 300 कैलोरी ऊर्जा तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन होना अनिवार्य है।

2– मध्यान्ह पोषाहार योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अभी तक तीन किलोग्राम प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी की दर से गेंहूँ/चावल खाद्यान्न के रूप में उपलब्ध कराया जाता रहा है लेकिन मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सरकारी सस्ते गल्ले के माध्यम से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न को पका–पकाया भोजन के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रामें में खाद्यान्न गर्म भोजन में परिवर्तित (कन्वर्जन) करने का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत गेंहूँ बाहुल्य क्षेत्रों में दलिया (मीठा/नमकीन), दाल रोटी अथवा चावल बाहुल्य क्षेत्रों में खिचड़ी, तहरी, दाल–चावल, सब्जी–चावल तैयार कराकर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें निर्धारित पौष्टिकता का स्तर बनाये रखने के उद्देश्य से दाल अथवा सब्जी का उपयोग स्थानीय स्तर पर मौसम के आधार पर किया जा सकेगा।

3– भोजन पकाने के कार्य में अध्यापकों एवं छात्रों की सहायता नहीं ली जायगी, अपितु ग्राम पंचायत भोजन पकाने हेतु महिला स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प गृह)/स्थानीय स्वयं सेवा संगठनों/(एन0जी0ओ0) की सेवा प्राप्त की जा सकती है।

4– खाना पकाने वाला व्यक्ति स्थानीय हो। उसमें अनूसचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, विधवा, परितृयक्ता को वरीयता दी जाय। इस सम्बन्ध में तत्काल इन्हें चिन्हित करने की आवश्यकता है। जिससे योजना प्रारम्भ करने के पूर्व स्वच्छतापूर्वक पौष्टिक पका–पकाया भोजन तैयार कराये जाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो सके। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर खाना पकाने वालों को एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाय, जिसमें सभी आवश्यक निर्देश यथा– खाद्यान्न को खाना पकाने से पूर्व सफाई, ईंधन की व्यवस्था, स्वच्छ जल का उपयोग, रसोई

को स्वच्छ रखना आदि तथा इस कार्य में संलग्न होने वाले समस्त लोगों को स्वयं भी स्वच्छ रहने के निर्देश दिये जाय। जिन विद्यालयों में 200 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं, उन विद्यालयों में दो व्यक्तियों से खाना पकाने का कार्य लिया जा सकता है।

5— खाना पकाने के लिए ईंधन, दाल, सब्जी, नमक, मिर्च—मसाला, चीनी अथवा खाना पकाने वाले की मजदूरी व खाद्यान्न लाने के व्यय की व्यवस्था (कन्वर्जन कास्ट) हेतु बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा धनराशि रू0 एक प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से आवंटित की जाएगी। इस धनराशि (कन्वर्जन कास्ट) से भोजन पकाने से सम्बन्धी समस्त व्यय वहन किये जायेंगे।

6— खाना पकाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जो निम्नवत् होगीः—

1—ग्राम प्रधान	— अध्ययक्ष
2—ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत दो महिलाएँ जो अभिभावक भी हो।	— सदस्य
3—संयुक्त प्रान्त पंचायती राज अधिनियत 1947 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायतों की शिक्षा समिति के सदस्य	— सदस्य
4—स्कूल के प्रधानाध्यापक	— सदस्य/सचिव
5—ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत दो पुरूष जो अभिभावक भी हो	— सदस्य

यह समिति खाद्यान्त को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से विद्यालय तक लाने तथा खाद्यान्त को भोजन के रूप में परिवर्तित करने सम्बंधी समस्त कार्य का अनुश्रवण एवं अपनी देख—रेख में योजना का क्रियान्वित करायेगी। समिति द्वारा यह भी ध्यान रखा जाएगा कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संचया—1646—7—6—04—1(6)/2000 टी.सी.—3 दिनांकः 23 जुलाई, 2004 में निर्देशित सफाई एवं स्वच्छता तथा सुरक्षा संबंधी निर्देशों का भली—भॉति पालन किया जाय।

7— चूँकि योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना है, अतः कन्वर्जन कास्ट की धनराशि जिला अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था की गयी है। यह धनराशि सम्बंधित ग्राम पंचायत की ग्राम निधि में जमा की जाएगी तथा इनका आहरण प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (सचिव, ग्राम पंचायत) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इस धनराशि को लेखा जोखा तथा निःशुल्क प्राप्त होने वाले खाद्यान्त से सम्बंधित आवश्यक विवरण ग्राम पंचायतों द्वारा रखा जाएगा तथा इन खाद्यान्नों को समय—समय पर निरीक्षण शिक्षा विभाग/राजस्त विभाग पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित अधिकारी करेंगे।

8— भोजन पकाने की व्यवस्था ग्राम पंचायतों द्वारा इस प्रकार से की जाय, जिससे कि बच्चों को मध्यान्ह अवकाश के समय भोजन प्राप्त हो सके।

9— उपरोक्त योजना दिनांक 01 सितम्बर, 2004 से लागू की जानी है। अतः उपरोक्त दिए गये निर्देशों का क्रियान्वयन तत्परता से किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह0

(हरिराज किशोर)

सचिव

पृष्ठांकन सं संख्यक (1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– सचिव, महिला एवं बाल विकास विभ्ज्ञाग।
7– सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
8– निदेशालय, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
9– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10– निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग।
11– क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम
12– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
13– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
14– समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
15– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
16– समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी/समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
17– गार्ड फाइल/सम्बंधित अधिकारी।

आज्ञा से,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव